भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2748

उत्तर देने की तारीख : 16.12.2025

विभिन्न मंत्रालयों में संविदा के माध्यम से कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मचारी

2748. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित बड़ी संख्या में कर्मचारी विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान भर्ती या सेवा शर्तों में आरक्षण का लाभ या संरक्षण प्राप्त नहीं होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह स्थिति इन वर्गों के विरुद्ध भेदभाव को जन्म दे रही है और सामाजिक न्याय के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और क्या वह संविदा या आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में अनिवार्य आरक्षण सुनिश्चित करने और उनके सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कोई व्यापक नीति, कानून या दिशानिर्देश तैयार करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 177 से 206 के अनुसार, लघु अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों की कुछ सेवाएं लेने में सक्षम है। चूंकि ये सेवाएं सीधे मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली जाती हैं, इसलिए इसका केंद्रीयकृत डेटा नहीं रखा जाता है।

सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होता है कि सभी अस्थायी नियुक्तियों, जो 45 दिन या उससे अधिक समय के लिए होंगी, में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाए।

*****